

स्टॉप डैम, फिल्टर प्लांट, स्टोर का नपाधिकारी ने किया निरीक्षण

वार्ड 9 में सड़क निर्माण के गुणवत्ता पर दिए कई दिशा निर्देश



सिलपरी में बंद पड़े हैंडपंप का सुधार करने के लिए निर्देश

जिले के धनपुरी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात बरकडे मंगलवार को फिल्टर प्लांट के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, यहां पर उन्होंने प्लांट का निरीक्षण किया, शहर के अंदर जो पेयजल की सप्लाई की जा रही है, उस व्यवस्था को देख, वहां पर मौजूद कर्मचारियों से चर्चा भी की, शहडोल।

जिस तरह से अचानक नगर पालिका अधिकारी फिल्टर प्लांट के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, कहीं ना कहीं उनके निरीक्षण से शहर की पेयजल व्यवस्था और मजबूत होगी, उन्होंने मौके पर कहा कि शहर के अंदर पानी सप्लाई में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो, उन्हें अवगत कराया जाये। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल आम जनता को मिले इसे लेकर किसी तरह का समझौता नहीं होगा और किसी तरह की नागरिकों से कोई शिकायत ना आए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ नगर

पालिका के उपयंत्री बृजेश पांडे लोग निर्माण विभाग के राम विशाल नापित भी मौजूद थे।

फिल्टर प्लांट में निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकडे ने वहां मौजूद कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पानी का स्टोरेज अधिक करें, ताकि अगर बिजली जाती है तो, किसी तरह से पानी की समस्या ना हो और नागरिकों तक पानी की सप्लाई नियमित रूप से होती रहे, यहां का निरीक्षण करने के बाद नगर पालिका अधिकारी सिलपरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नागरिकों से चर्चा भी की और ध्यानपूर्वक उनकी समस्याओं को भी सुना, वहीं उन्होंने यहां का निरीक्षण कर समस्याओं को भी देखा, जिसमें उन्होंने मौके पर उपयंत्री को कई दिशा निर्देश भी दिये। यहां पर एक हेण्ड पंप जो कि बंद पड़ा था, उन्होंने तत्काल जलकर विभाग को इसके सुधार का निर्देश दिया, वहीं यहां के लोगों ने नाली निर्माण को लेकर भी नगर पालिका अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता के समाप्त होने के बाद यहां पर जो नाली की समस्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। नगर पालिका अधिकारी ने लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने उनकी पहली प्राथमिकता में है, अगर किसी की कोई समस्या है तो, वह सीधे मुझसे मिल सकते हैं, निश्चित है कि जो भी समस्याएं होंगी उसे तत्काल दूर किया जाएगा, ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।

नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकडे ने सिलपरी के पास ही

चल रहे स्टॉप डैम निर्माण का भी निरीक्षण किया, यहां पर नगर पालिका के द्वारा लाखों रूपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि पानी को स्टोरेज किया जा सके और इसका उपयोग फिल्टर प्लांट में किया जाएगा, ताकि शहर के अंदर पेयजल व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कई दिशा-निर्देश भी नगर पालिका अधिकारी के द्वारा मौके पर दिया गया।

सड़क निर्माण का किया निरीक्षण

सीएमओ श्री बरकडे ने शहर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और वार्ड में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने अचानक निकल पड़े और कहीं ना कहीं उनके निरीक्षण से शहर की व्यवस्था और बेहतर होगी, नगर पालिका अधिकारी वार्ड 9 में चल रहे सड़क निर्माण का भी निरीक्षण किया, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उन्होंने प्रशंसा जताई, लेकिन इस मौके पर उन्होंने कहा कि पानी की तराई अधिक करें, ताकि सड़क और मजबूत हो, इस पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्टोर के चल रहे निर्माण का किया निरीक्षण

कोयलांचल क्षेत्र में शांति कॉम्प्लेक्स के पीछे स्टोर निर्माण का कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने को लेकर भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकडे पहुंचे, उन्होंने यहां चल रहे निर्माण कार्य को देखा और ठेकेदार को कई निर्देश भी दिए जात होंगे, नगर पालिका के द्वारा यहां पर स्टोर का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि नगर पालिका धनपुरी के आधे

वार्ड कोयलांचल क्षेत्र में आते हैं, यहां पर स्टोर के निर्माण हो जाने से स्वच्छता विभाग सहित अन्य सामग्री यहां पर रखा जा सकेगा। जिससे कि व्यवस्था सुधार में और मदद मिलेगी, यहां पर स्टोर निर्माण को लेकर काफी समय से मांग भी की जा रही थी और आखिरकार अब यहां पर स्टोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण हो जाने से कोयलांचल की व्यवस्थाओं में और सुधार देखने को मिलेगा।

बरसात से पहले व्यवस्थाओं को किया

जाएगा दुरुस्त

मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकडे ने चर्चा करते हुए कहा कि 15 जून के बाद मानसून की शुरुआत हो जाएगी और इसी को देखते हुए धनपुरी नगर के समस्त वार्ड में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, वर्तमान में समस्त वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, नाली एवं नालियों की विशेष रूप से सफाई कराई जा रही है, ताकि बरसात के समय पर कहीं पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी तरह समस्त वार्ड में स्ट्रीट लाइट का सुधार किया जा रहा है, नागरिकों से भी लगातार चर्चा की जा रही है, समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका निराकरण भी मौके पर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के समाप्त होने के बाद जो महत्वपूर्ण विकास के काम हैं, उसे भी शुरू किया जाएगा। सर्वप्रथम समस्त वार्ड में कहीं पर भी नालियों की समस्या ना हो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

25 हजार लेकर आओ तो आद्यतन होगा अदालत का आदेश

तहसीलदार के निर्देश पर भी पटवारी ने निर्धन महिला से मांगा घूस

शहडोल।

राजस्व अमला रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का इतना आदी हो चुका है कि उस पर न तो प्रशासन की कार्रवाई का अंतर पड़ता है न जनता की पिटाई का। वह अपमानित होने के बाद भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होता है। सोहागपुर तहसील में पदस्थ कुछ पटवारियों का यही हाल है। मुख्यालय से लगी ग्रामपंचायत कोटमा का हल्का पटवारी दीपक पटेल इसका एक उदाहरण है। पूर्व में फर्जी रजिस्ट्री के एक मामले में ग्रामीण की मौत होने पर ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा था और उन्होंने पटवारी दीपक पटेल को दोषी मानते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। मामला तब शांत हुआ था जब मौके पर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था। हाल ही में उसने पुनः एक अत्यंत निर्धन महिला से आदेश आद्यतन करने के लिए 25 हजार रूपए की रिश्वत मांगी है। जिसकी महिला ने कलेक्टर शहडोल से शिकायत की है। पटवारी चाहे जितना भ्रष्टाचार करे और कारतकों की हड्डियां चूसे उसकी चाहे जितनी शिकायतें हों लेकिन वरिष्ठ अफसर उस पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। हल्कों का तो जैसे पटवारियों के नाम अधोषित पट्टा कर दिया गया है।

अदालत ने डिक्री पारित की थी

कोटमा ग्राम निवासी रतनी बैगा पति स्व. शोभन बैगा आराजी खसरा नंबर 158 ए जुज रकबा 0.33 एकड़ 1970 में शोभन के द्वारा क्रय की गई थी। तब से वह इसी भूमि पर घर बाड़ी बनाकर काबिज थी। इसके कई वर्षों बाद कोई विवाद होने पर इस भूमि पर बिसाहू काछी वगैरह के साथ सिविल कोर्ट व्यवहारवाद का मामला चला। जिसकी सुनवाई उपरत न्यायालय ने रतिया के पक्ष डिक्री पारित करते हुए उसे वास्तविक भूमि स्वामी एवं कब्जेदार घोषित किया साथ ही यह भी आदेश दिया कि प्रतिवादीगण इस भूमि पर किसी प्रकार कोई



दखल नहीं करेंगे। इस आदेश का राजस्व रिकार्ड आद्यतन कराना आवश्यक था।

रिकार्ड तो मैं ही सुधारंगा, लेकिन ?

रतनी बैगा आदेश आद्यतन कराने के लिए तहसीलदार सोहागपुर के पास पहुंची और उसने आवेदन दिया। इस पर अदालत का अवलोकन करने के उपरांत तहसीलदार ने हल्का पटवारी को आदेश आद्यतन करने का निर्देश देकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। इसके बाद पटवारी दीपक पटेल ने रतनी को बुलवाया और कहा कि देखो, तुम्हारे काम में 25 हजार रुपए लगेंगे। लाखों की जमीन है पैसा ले आओ तो काम हो जाएगा। इसके बाद रतनी ने पटवारी की बड़ी विनती मिनत की लेकिन पटवारी नहीं पसीजा। आज भी वह रिश्वत पर अड़ा हुआ है और महिला भटक रही है। पटवारी का कहना है कि काम तो मैं ही करूंगा तुम्हें जहां जाना है जाओ। ज्ञातव्य है कि रतनी का मामला तो एक उदाहरण है कोटमा में गरीबों के जबर्जस्त शोषण और प्रताड़नाओं के कई मामले मौजूद हैं। इसकी भी

शिकायत की जानी चाहिए।

पूर्व में पिटा था पटवारी

संभागीय मुख्यालय से लगे कोटमा गांव में संतोष बर्मन उर्फ लल्लू की जमीन हड़प लिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया था। यह जमीन फर्जी रजिस्ट्री और पटवारी के घालमेल के कारण हड़प गई थी। इस सदर्म के कारण संतोष की मौत हो गई थी। संतोष की मौत होते ही ग्रामवासी आक्रोशित हो उठे और पटवारी की तलाश करने लगे। इसके बाद वे शव को हाड़वे पर रखकर प्रदर्शन करने लगे थे। यह सुनते ही प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच गए थे जिनके साथ दीपक पटेल पटवारी भी था। उसे देखते ही ग्रामीण उस पर पिल पड़े थे और लात घूंसे से उसकी पिटाई कर दी थी। उसी बीच अधिकारियों ने बीच बचाव कर दिया और पटवारी की जान बची थी। मार खाने के बाद भी पटवारी ने तो कोटमा हल्का से हटा और न अपनी हरकत से बाज आया। उसे हर काम में रिश्वत चाहिए वह भी खासी मोटी कई हजारों में।

ट्रांसफर क्यों नहीं होता ?

एक जानकारी के अनुसार सोहागपुर के अधिकांश पटवारी अपनी मर्जी से हल्कों में टिके हुए हैं। वे अफसरों के कमाऊ पूत होने के नाते अफसरों के काफी चहेते हैं। ट्रांसफर तो होता है लेकिन उसका पालन पटवारी की मंशा के अनुरूप होता है। न पटवारी अपना हल्का छोड़ता है न अफसर उसे धर-उधर करना जरूरी समझते हैं। दीपक पटेल का ही मामला देख लें, ग्रामीणों के इतने आक्रोश और आरोपों के बावजूद पटवारी आज भी उसी हल्के में बैठा ग्रामीणों की हड्डियां चूस रहा है। हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर के पास जब शिकायतें पहुंचती हैं तब वे भी उन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और पटवारी मनमानी करता रहता है।

रेत एवं कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित



रेलवे की रेलिंग में फंसी गाय

उमरिया। रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे की नुकली रेलिंग में एक गाय फंस गई। जिसे रेलवे स्टेशन के निकल गया। पेट में लगभग 6 इंच गहरे पांच घाव बन गए। रेलिंग की पट्टीदार सलाखों को ऊपर से तार की तरह नुकली थी, गाय के पेट में घुस गई थी। गाय रेलिंग के ऊपर फंसी हुई थी, रेलवे ऑपरेशन को पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अखिलेश सिंह ने अपने नेतृत्व में पूरा कराया। बताया गया है कि गाय रेलिंग के बल में एक ऊंची जगह पर चढ़ गई थी और अर्धदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में शैलेन्द्र परस्ते सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल जनरल कार्यालय में शैलेन्द्र परस्ते सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की धारा 307 के अंतर्गत मुद्दा दर्ज किया गया, जिससे वह सुरक्षित बाहर आ सकी। हालांकि गाय के पेट में लगभग 6 इंच गहरे पांच घाव बन गए हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि यदि गाय को नियमित दवाइयां दी जाती रहें।

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने आम नागरिकों, समाजसेवी संगठनों द्वारा जिले अंतर्गत सोन घडियाल क्षेत्र, सोन नदी, समथिन नदी, बनसा नदी, झार नदी, कसेड नदी एवं सरफा नदी से रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाये जाने की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जिले के रेत एवं कोयला के अवैध उत्खनन परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित के आदेश जारी किया है।

सोन घडियाल क्षेत्र, सोन नदी, समथिन नदी आदि से स्वीकृत खदानों के अलावा अन्य जगहों को विनियमित कर रेत एवं कोयला के अवैध खनन कर परिवहन किये जाने की प्राप्त शिकायतों के आधार पर खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाही के दौरान उत्खनन विपरीत परिस्थितियों एवं घटित घटनाओं की रोकथाम किये जाने हेतु अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रतिबंध लगाये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिले में खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार असांज्जिक तत्वों द्वारा अवैध रेत एवं कोयला के अवैध खनन कर शक्ति भंग करने की प्रखल संभावना है और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बनाने के लिए जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है। जिले में रेत, कोयला उत्खनन पर प्रभावी रूप से रोक लगाये जाने एवं परिस्थिति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

श्री भटनागर ने समस्त जनसाधारण को सुविधा के लिए असांज्जिक तत्वों के विरुद्ध दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की



स्वीकृत खदानों के अतिरिक्त अन्य सभी निम्नानुसार विनियमित स्थलों से रेत एवं कोयला के अवैध उत्खनन एवं परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंधात्मक आगामी आदेश तक के लिए लागू किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिला शहडोल, तहसील ब्योहारी के सोन घडियाल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुखाड़, सथनी, बरहाई, नौदिया खामडांड, जनकपुर, क्षिरिया, गोपालपुर तथा सोन नदी अंतर्गत पापौथ, दुआरा, तिखवा, पण्डोड एवं समथिन नदी अंतर्गत नौदिया, मोलहरा, मोलहरा, एवं झारपूर नदी के रसपूर से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिला शहडोल, तहसील बुढ़ार अंतर्गत सोन नदी पर स्थित ग्राम जरवाही के बटली घाट से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर अंतर्गत सुडना नदी पर स्थित ग्राम नरवार, सरफा नाला पर स्थित ग्राम सिहपुर, ग्राम छता ग्राम

बोडरी व ग्राम उधिया से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिला शहडोल, तहसील गोहापुर अंतर्गत सोन नदी पर स्थित ग्राम धनगांव, छरीअ नाला पर स्थित ग्राम सेमरा, गोडना नाला पर स्थित ग्राम धीनहा के बरमखाबा घाट के अतिरिक्त ग्राम बुधरी, ग्राम लेंदरा से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, तहसील सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत बडखेरा, पौनरा, नवलपुर, नंदना, खितौली, धूरवार, जमुआ से कोयला का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, तहसील बुढ़ार अंतर्गत रामपुर बट्टरा, खिडिया, साबो, धनगांव से कोयला का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, तहसील जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवाही से कोयला का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उक्त विनियमित क्षेत्रों में रेत, कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के निषेध हेतु प्रमावशित रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्रों द्वारा दी जावे एवं आदेश की एक-एक प्रति इस कार्यालय एवं खनिज कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सहायक, सार्वजनिक स्थल पर चरपा किया जावे। समस्त मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका, अधिकारी नगरपालिका, नगरपरिषद, तहसीलदार आदेश की प्रति सहज दृष्टिगोचर स्थल पर चरपा करें। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस में प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाही की जावेगी।

खबर संक्षेप

नशा मुक्ति जागरूकता अभियान संपन्न



शहडोल। नशा मुक्ति एक महत्वपूर्ण मनाविक उद्देश्य है जिसका मकसद व्यक्ति या समाज को नशे से मुक्त करना है। नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, धीरे-धीरे शरीर को मारता है। नशा करना मतलब आत्महत्या करना होता है। इसी सामाजिक उद्देश्य को लेकर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान मित्रम शिक्षा और जनकल्याण सेवा समिति शहडोल द्वारा वार्ड क्रमांक 8 में 15 मई को आंगनबाड़ी केंद्र पांडव नगर में एक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमती ममता वेस (शिक्षिका रेलवे मिश्रितहाई स्कूल) रही। मुख्य अतिथि ने कहा नशा हमारे सामाजिक व्यक्तिगत और आर्थिक संबंधों को खराब कर देता है, जिससे समाज में कई बुराइयां पैदा होती है। मित्रम शिक्षा सेवा समिति की ओर उद्बोधन उपाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे ने किया। उन्होंने बताया नशा मुक्ति का महत्व केवल स्वास्थ्य और जीवन के लिए बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मती डां भारतीय तिवारी (शासकीय माध्यमिक शिक्षिका)ने बताया कि नशा करना अपने आप अपने परिवार का अहित करना है जिसका दुष्प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी आता है, साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति के रोचक और घरेलू उपाय बताए। साथ उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बताया कि किस प्रकार से वे अपने बच्चों और पति की काउंसलिंग करें और अपने विवेक से प्रेम और सौहार्द पूर्वक वातावरण निर्मित करें और इसके दुष्प्रभावों को अवगत कराए। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता संतगोपाल बंसल ने की उन्होंने भी इस बुराई और उसके होने वाले गंभीर परिणामों को समस्त वार्डवासियों को अवगत कराया। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्री मति करुणा तिवारी, आंगनबाड़ी की सहायिका श्रीमती उषा खरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक समाजसेवी तथा महिलाएं उपस्थित रही। उक्त जागरूकता अभियान में आए सभी गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों और अतिथियों का आभार प्रदर्शन समिति की अध्यक्ष श्रीमती आशा महर्षि, अनंत तिवारी ने किया।

अवैध रेत का परिवहन करते ट्रैक्टर किया जप्त

शहडोल। जिले के पपौध थाना क्षेत्रांतर्गत 14 मई को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम विजयसोता तरफ रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पपौध पुलिस द्वारा विजयसोता मुख्य मार्ग पहुंचकर सड़क पर वाहन चेकिंग कर उक्त वाहन को कुछ दूर आते देखा तो एक ट्रैक्टर मय रेत लोड आते दिखा, जिसका चालक वाहन चेकिंग को कुछ दूर से देखते ही ट्रैक्टर को छोड़ भाग गया, जो कि बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिला। उक्त ट्रैक्टर कि तलाशी लेने पर उसकी ट्राली में रेत लोड होना पाया गया, जिससे ट्रैक्टर को मय रेत लोड जप्त कर आरोपी चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध भादवि एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

करेंट लगाकर मारने वालों को 3 वर्ष का कारावास

शहडोल। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रीति साल्वे द्वारा बुल्ला बैगा, प्रकाश बैगा, मंगलदी बैगा, अशोक बैगा एवं रूखू बैगा को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 9/51 में प्रत्येक अभियुक्तगण को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये कुल 50 हजार रूपये के अर्धदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में शैलेन्द्र परस्ते सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की धारा 307 के अंतर्गत मुद्दा दर्ज किया गया, जिससे वह सुरक्षित बाहर आ सकी। हालांकि गाय के पेट में लगभग 6 इंच गहरे पांच घाव बन गए हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि यदि गाय को नियमित दवाइयां दी जाती रहें।

करेंट लगाकर मारने वालों को 3 वर्ष का कारावास

शहडोल। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रीति साल्वे द्वारा बुल्ला बैगा, प्रकाश बैगा, मंगलदी बैगा, अशोक बैगा एवं रूखू बैगा को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 9/51 में प्रत्येक अभियुक्तगण को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये कुल 50 हजार रूपये के अर्धदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में शैलेन्द्र परस्ते सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की धारा 307 के अंतर्गत मुद्दा दर्ज किया गया, जिससे वह सुरक्षित बाहर आ सकी। हालांकि गाय के पेट में लगभग 6 इंच गहरे पांच घाव बन गए हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि यदि गाय को नियमित दवाइयां दी जाती रहें।

खबर संक्षेप

फुटबाल के प्रशिक्षण का अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

उमरिया। जिला मुख्यालय के बालक कॉलेजी स्कूल में आयोजित समर कैम्प में स्कूली विद्यार्थियों को फुटबाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका निरीक्षण अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों ने फूलमाला से अपर कलेक्टर का स्वागत किया। अपर कलेक्टर ने क्लबलियाल संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह से विद्यार्थियों को दिए जा रहे फुटबाल के प्रशिक्षण, पेयजल व्यवस्था आदि के संबंध में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर ने महिला खिलाड़ियों के लिए ट्रेस चेंजिंग रूम खुलवाने, मैदानों की नियमित सिंचाई करने, विद्यार्थियों के लिए पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी एम एस गौर, जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान सुशील मिश्रा, उपस्थित रहे।

16 मई को संगामीय समीक्षा बैठक

उमरिया। उपायुक्त (राजस्व) शहडोल संभाग शहडोल (मिनिषा भगवती पाण्डेय ने जानकारी दी है) की प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व एवं खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की अध्यक्षता में राजस्व एवं खनिज विभाग की 16 मई 2024 को प्रातः 11 बजे संगामीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में एडीजीपी शहडोल जेन, शहडोल संभाग के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

समर कैम्प की गतिविधियों का अपर कलेक्टर ने लिया जायजा



उमरिया। स्कूली विद्यार्थियों के लिए समर कैम्प के माध्यम से खेल, पेंटिंग तथा अन्य गतिविधियों का निशुल्क प्रशिक्षण संचालित कर विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार लाने के लिए जिला मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में चलाया जा रहे समर कैम्प का अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, हैण्डबाल आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षु स्कूली विद्यार्थियों ने अपर कलेक्टर से हॉकी दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण के माध्यम से पांच विद्यार्थियों को हॉकी उपलब्ध कराई। अपर कलेक्टर ने खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश प्रशिक्षण प्रभारी प्रशासन को तथा खेल मैदान में उड़ने वाली धूल को रोकने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया को नियमित खेल मैदान की सिंचाई कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी एम एस गौर के आग्रह पर भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक द्वारा वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि खेल मैदान में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम शिक्षकों की डिप्टी लगाए। इस अवसर पर जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान सुशील मिश्रा, प्राचार्य शासकीय सज्जन उल्हास विद्यालय यू बी सिंह उपस्थित रहे।

नल जल योजना के माध्यम से किया जा रहा पेयजल का प्रदाय

उमरिया। कार्यपालन यंत्रों लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय ने बताया कि ग्राम बेली विकासखण्ड पाली में नल जल योजना के नलकूप में नवीन मोटरपंप लगाकर तथा विद्युत की समस्या का निराकरण करके नल जल योजना के माध्यम से सुचारु रूप से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। ग्राम बेली की नल जल योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित है। योजना का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाकर नियमित पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी तरह ग्राम ओबर में कोमल सिंघ वैश के घर के पास का हैण्डपंप को सुचारु चलू कर दिया गया है।

सार्वजनिक निस्तार की भूमियां भी लुप्त हो रहीं, ग्रामीण परेशान

माफिया की भेंट चढ़ रही पंचायत विकास की भूमियां

शहडोल। संभाग मुख्यालय से लगी ग्रामपंचायतों में वर्षों से भू माफिया सक्रिय है जो राजस्व अमले की साठगांठ से सरकारी जमीनों को खुद बुर्द कर रहे हैं। इन पर कठोर कार्रवाई होने की बजाय इन्हे मानो छूट दे दी गई है। जिससे इनके होसले बुलंद हैं और शासकीय आराजियों को अपने मनमुताबिक खुद-बुर्द कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें न तो शव की अंत्येष्टि के लिए श्मशान घाट में जगह मिल रही है, न आम रास्ता रह गया है। मवेशियों की चरागन भूमि कहीं नहीं रह गई है। मवेशी बिना चारा पानी के मर रहे हैं। इसमें एक खास बात यह भी है कि ग्रामपंचायतों द्वारा भी इस तरह की मनमानियों के खिलाफ आपत्ति नहीं उठाई जाती है। जबकि उसके प्रयोजन की भूमियों को हड़पा जा रहा है।

कैसे बनेंगे जनहित के केन्द्र

शासन ने ग्रामीण विकास और जागरूकता के लिए स्वास्थ्य केन्द्र, सांस्कृतिक मंच, खेल मैदान, गोशाला, सामुदायिक भवन, झूला घर आदि बनाने के लिए ग्रामपंचायतों के प्रयोजन हेतु भूमियां आरक्षित की थीं। इन जमीनों को भी भूमाफिया धीरे धीरे हड़पाता जा रहा है। लेकिन ग्रामपंचायतों के सचिव, सरपंच प्रशासन से शिकायत कर आपत्ति नहीं जता रहे हैं। पटवारी, आरआइ से माफिया सांठ-गांठ तो करते ही हैं सरपंच व सचिव को भी अपनी जमात में शामिल कर लेते हैं। नतीजा यह होता है कि जमीन ग्रामपंचायत के प्रयोजन से छिटक कर माफिया के पक्ष में चली जाती है और जहां जनता के हित के विविध केन्द्र बनने थे वहां कुछ और बनने लगता है। आज कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसके पास पर्याप्त सरकारी भूमि हो। एक

निर्माण कार्य के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जमीन ढूँढ़ नहीं मिलती। कहीं का निर्माण कार्य कहीं और हो जाता है। स्थल का चयन गलत हो जाता है।

इस तरह से भी जनता परेशान

ग्रामीण जनता को इस बात की भी तकलीफ उठानी पड़ रही है कि उसकी सुविधाएं छिनती जा रही हैं। गांव की वह आम रास्ता जो पीढियों से उपयोग की जाती रही अचानक बंद कर दी जाती है। जहां मृतकों की अंत्येष्टि की जाती रही वहां भूमि घटती जा रही है अब श्मशान घाट समाप्त होते जा रहे हैं। तालाब की मेढ़ समतल कर पट्टे की भूमि बन गई, वो तालाब जो पहले निस्तारी थे ग्रामीणों का निस्तार चलता था अब भाटे जाकर माफियाओं के कब्जे में जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों की परेशानियों के लिए पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण शिकायतें करते हैं, कई बार सीएम हेल्प लाइन तक में भी शिकायतें की गईं लेकिन कोई कारगर कार्रवाई नहीं होती है।

राजस्व अमले की सांठगांठ

शहडोल शहर से संटे गांवों जैसे कोटमा, गोरतरा, कुदरी, पोंगरी, चापा, कल्याणपुर, जमुई, जमुआ, पिपरिया आदि में शासकीय आराजियों पर हो रहे बेजा कब्जे और अवैध प्लांटिंग के कारोबार में राजस्व अमला पूरी तरह अपनी सहभागिता निभा रहा है। शासकीय आराजियों की रक्षा सुरक्षा हेतु पटवारियों की नियुक्ति की गई है। पटवारियों द्वारा आराजियों का संरक्षण करने की बजाय गुप्त तरीके से माफियाओं के साथ जमीन को खुद बुर्द करने का खेल खेला जा रहा है।



शासन के रिकार्ड में दर्ज कई एकड़ आराजी आज माफिया के हत्थे चढ़ गई है।

वर्षों से एक ही जगह जमे पटवारी

कई वर्षों से पटवारी एक ही हल्के पर पदस्थ हैं, राज्य शासन द्वारा प्रति वर्ष कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं किंतु कई चिन्हित हल्कों के पटवारियों पर शासन के स्थानांतरण आदेश का प्रभाव नहीं पड़ रहा है आखिर इसका कारण क्या है? 10-10 वर्षों से पदस्थ इन पटवारियों को कौन संरक्षण दे रहा है यह समझ के परे है। गरीबों की भूमि भी माफियाओं के चंगुल में जा रही है, गरीब परेशान हैं पर उनके हित में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक पटवारियों का नियमित रूप से स्थानांतरण

नहीं किया जाएगा तब तक शायद समस्या का निदान भी नहीं हो सकेगा।

इनका कहना है

ग्राम पंचायतों में जमीनों के खुर्द-बुर्द किए जाने की जानकारी मिली थीं, जिन पर कार्रवाइयां भी शुरू की गई हैं। पंचगाव तथा चुनियां सदरुी में कार्रवाइयां चल रही हैं, आगे भी जांच पड़ताल जारी रहेगी। पटवारियों का स्थानांतरण भी किया जायेगा।

अरविंद शाह एसडीएम, सोहागपुर तहसील इस मामले में कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी, जांच के लिए दल भी गठित किए जा रहे हैं। इस मामले में

पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, पटवारियों के इंफ्रीमेंट रोके गए हैं।

दिव्या सिंह तहसीलदार, सोहागपुर ग्राम पंचायतों में शासकीय प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमियों का सीमांकन कर उन्हें खसरे में दर्ज किया जाए। साथ ही एक ही स्थान पर लम्बे असें से पदस्थ राजस्व अमले का नियमानुसार स्थानांतरण किया जाना जरूरी है। आपके द्वारा जिस समस्या पर प्रकाश डाला जा रहा है वह जनहित की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

चंद्रेश द्विवेदी प्रदेश सहसंयोजक,

एमडी ने किया पॉवर प्लांट का निरीक्षण



अधिकारियों की प्रशंसा कर दी शुभकामनाएं

उमरिया। जिले के बिरसिंहपुर पाली में संचालित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित कोल स्ट्रकर मशीन बीते वर्ष जर्नरेंटिंग कंपनी के एम डी मंजीत सिंह ने कल अपनी टीम के साथ किया। इस दौरान उन्होंने पॉवर प्लांट के राखड टैंक, एस डेम का निरीक्षण कर मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए साथ ही पॉवर प्लांट में बीते दिनों से बंद पड़े लोको शेड का शुभारंभ कर प्रबंधन को बधाई दी। मध्यप्रदेश पॉवर जर्नरेंटिंग कंपनी के एम.डी.मंजीत सिंह ने बीते वर्ष क्षतिग्रस्त हुए कोल स्ट्रकर का जायजा लेकर उक्त मशीन का परीक्षण कराया। अपने निरीक्षण के दौरान एम डी मंजीत सिंह ने परियोजना के ट्रेनिंग हॉल में समस्त अधिकारियों की आवश्यक बैठक भी ली जहां सभी को निर्देश दिए गए कि परियोजना में रखरखाव पर आवश्यक पहलव किया जाए। बता दें कि आगामी माह में पॉवर प्लांट का मॉटीनेस कार्य आरंभ होने वाला है जिसको लेकर पॉवर जर्नरेंटिंग

कंपनी के एम डी मंजीत सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित कोल स्ट्रकर मशीन बीते वर्ष क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे परियोजना के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने युद्धस्तर पर कार्य कर उसे उपयोगी बना दिया है साथ ही पॉवर प्लांट में बीते वर्ष 2011 में एक लोको शेड की उपलब्धि बीएचईएल के द्वारा प्रदान की गई थी उस उपलब्धि को प्रबंधन टीम ने पुनर्जीवित कर लिया है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए एम.डी.मंजीत सिंह ने प्रशंसा कर पॉवर प्लांट प्रबंधन टीम को बधाई दी है।

अडानी के सायलो पर होगा काम

जानकारी के मुताबिक संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में अडानी ग्रुप के द्वारा रेलवे ट्रेक पर सायलो से राखड लोडिंग करने की कवायद की जा रही है जिसको लेकर पॉवर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों के



20 से स्नातक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा

शहडोल। पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा 20 मई से प्रारंभ हो रही है, यह परीक्षाएं विश्वविद्यालय के दोनों परिसर शहडोल परिसर एवं नवलपुर परिसर में आयोजित की जावेगी। शहडोल परिसर में परीक्षाएं दो शिफ्ट में प्रथम शिफ्ट सुबह 10 से 1:00 बजे एवं द्वितीय शिफ्ट 2 से 5 बजे संचालित होगी, शहडोल परिसर की प्रथम शिफ्ट में नवीन शिक्षा नीति से संबंधित प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं बीपीईएस की परीक्षाएं संचालित होगी जबकि द्वितीय शिफ्ट में बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष पुराना पाठ्यक्रम एवं डिप्लोमा (रेगुलर) की परीक्षाएं संपन्न होगी। विश्वविद्यालय के नवलपुर परिसर में परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में 10 बजे से 1:00 बजे के मध्य संचालित होगी इसमें बीएससी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के नवीन शिक्षा नीति वाले छात्र परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। समस्त परीक्षाओं की समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में



अपलोड कर दी गई हैं, सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह वेबसाइट से अपनी कक्षा, विषय, पेपर, समय और परीक्षा केंद्र (विश्वविद्यालय का परिसर) का अवलोकन करले। वेबसाइट में ही परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं प्रकाशित एवम प्रदर्शित की जावेगी। समस्त विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र कल शाम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। विस्तृत समय सारणी एवं अन्य जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें एवं सतत संपर्क में रहे।

भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी की हुई मौत

शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के अमडीह महादेवा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, छत्तीसगढ़ से ब्यौहारी की ओर आ रही स्कार्पियो वाहन महादेवा गांव के पास पेड़ से टकरा गई। जिसमें ब्यौहारी के साखी में पदस्थ शिक्षक एवं उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं चालक गंभीर घायल हुआ है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया की अमडीह महादेवा गांव के पास तेज रफतार स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 14 एम एल 0514 पेड़ से टकरा गई। जिसमें सवार शिक्षक सुधीर इक्का उम्र 40 वर्ष एवं उनकी पत्नी फूल जय सिया इक्का उम्र 35 वर्ष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। तो वहीं वाहन चालक आर्यन इक्का गंभीर घायल हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जानकारी लगने के बाद

थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन चालक आर्यन इक्का को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार सुधीर इक्का छत्तीसगढ़ के जसपुर के रहने वाले थे, वह स्कूल की छुट्टियों में घर गए हुए थे और छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस अपने कार्य पर पत्नी के साथ लौट रहे थे, तभी अमडीह महादेवा गांव के पास यह भीषण हादसा हो गया। जिसमें पति-पत्नी की मौत हो गई है। घटना की 1 घंटे बीत गए, लेकिन दोनों शवों को वाहन से बाहर नहीं निकाला जा सका है। मौजूद पुलिसकर्मी का कहना है कि वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और दोनों मृतकों के शव वाहन में चिपक गए हैं। कटर मशीन से काट कर ही शव निकला जाएगा, मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है, रेस्क्यू टीम पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।

नगर के बाजार एरिया में दुकानदार सड़क पर लगा रहे दुकान

नगर पालिका ने लिया एक्शन, लगवाई व्यवस्थित दुकान

कोतमा। जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा था। जिसको हटाने के लिए नगर पालिका के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और बाजार एरिया से सब्जी फल एवं चाट फूल्की की दुकानों को सब्जी मंडी एवं चौपाटी में दुकान लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

हटवाई दुकानें

बुधवार की सुबह 8 से ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप झारिया नपा राजस्व अधिकारी योगेन्द्र तिवारी अरुण सोनी पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं नपा कर्मचारी अमित सेन राहुल सोनी मनीष गर्ग सहित नगर पालिका का सफाई अमला नगर के गांधी चौक, आजाद चौक, स्टेशन चौक, पुराना स्टेट बैंक रोड, महावीर मार्ग, गहरवार चौक में लग रही सब्जी दुकानों को हटवाते हुए व्यवस्थित सब्जी मंडी में 25 से 30 फुटकर सब्जी दुकानदारों की व्यवस्थित दुकान लगवाई गई। नगर के गांधी चौक स्टेशन चौक आजाद चौक गहरवार चौक महावीर पुराना स्टेट बैंक रोड में ठेले में लग रहे फल विक्रेताओं को चौपाटी में दुकान लगाए जाने के निर्देश देते हुए बाजार एरिया से उन्हें हटवाया गया।

दिया नोटिस

फल दुकानदारों के द्वारा बाजार एरिया से दुकान हटाकर पुराना फाटक रोड में सड़क



के किनारे दुकान लगाई गई थी जिन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के द्वारा वहां पर दुकानें नहीं लगाने की समझाइए लेकिन जब दुकानदार नहीं माने तो पांच फल दुकानदारों को मौके पर ही नोटिस जारी किया गया।

दुकानदारों ने मांगी मोहलत

पुराना फाटक रोड में सड़क किनारे दुकान लगा रहे फल दुकानदारों ने नगर पालिका अधिकारी से दो दिन का समय मांगते हुए कहा है कि 2 दिन के अंदर हम लोग चौपाटी में दुकान लगनी शुरू कर देंगे। फुटकर सब्जी दुकानदार कर रहे विरोध-नगर के बाजार एरिया में सड़कों पर दुकान लगा रहे कुछ

फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने दुकान हटाए जाने को लेकर विरोध भी जाते उनका कहना है कि सब्जी मंडी में पर्याप्त जगह नहीं है और वहां पर कोई सब्जी लेने नहीं जाएंगे। अब से सब्जी मंडी में ही लगेगी दुकानें मुख्य नगर पालिका ने सभी फुटकर सब्जी दुकानदारों को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा है कि बाजार एरिया में दुकान लगने के कारण आवागमन बाधित होता है प्रतिदिन जाम की स्थिति लगती है यदि किसी मरीज को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना है तो उसे घंटा जाम में फंसना पड़ता है। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह से नगर पालिका का हमला बाजार में मौजूद रहकर सड़कों पर लग रहे दुकानों पर निगानी करते हुए उन्हें हटवाते हुए समान जप्ती की

कार्रवाई शुरू करेगा। घूम रहे ठेले वाले पूर्व में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यह कहा गया था कि सभी दुकानें सब्जी मंडी में ही लगेगी हाथ ठेले वाले नगर के वार्ड क्रमांक 1 से 7 तक घूम कर ठेले में सब्जी की बिक्री नहीं करेंगे। वार्ड क्रमांक 8 से 15 तक सब्जी विक्रेता हाथ ठेलों के माध्यम से बिक्री कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे के बाद फल एवं सब्जी ठेले वालों को बाजार एरिया में घूम कर सब्जी विक्रय करते नजर आए। जिस पर नगर पालिका ने कड़े शब्दों में कहा है कि गुरुवार से इन पर भी नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भागवत कथा में उमड़े भक्तोगणों को वितरित किया प्रसाद

गोवर्धन पूजा के साथ लगा छप्पन भोग

धनपुरी वार्ड नंबर 4 में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठवें दिन कथा व्यास अंजनी प्रसाद शास्त्री जी महाराज ने अपने श्रीमुख से गोवर्धन पूजा की दिव्य कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्त भाव विमोह हो गए।



लीलाओं का वर्णन करने के पश्चात गोवर्धन पूजा एवं इन्द्र के मान मर्दन की दिव्य कथा विस्तार से सुनाई। छप्पन भोग के हुए दर्शनअस अवसर पर भगवान अंजनी प्रसाद जी महाराज के समक्ष सुंर

छप्पन भोग के दर्शन कराये गये। उन्होंने यह भी बताया कि जहां सत्य एवं भक्ति का समन्वय होता है, वहां भगवान का आगमन अवश्य होता है। गाय की सेवा एवं महत्व को समझाते हुए बताया कि प्रत्येक हिन्दू परिवार में गाय की सेवा अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। गाय का दूध अमृत के समान बताया। गोवर्धन भगवान की पूजा सभी भक्तों को आचार्य द्वारा विधि विधान से कराई गई। कथा व्यास ने अपने सुरीले कंठ से संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर मैं तो गोवर्धन कूं जाऊं मेरे वीर नाप माने मेरो मनुवा, श्री गोवर्धन महाराज-महाराज तिहारे माथे मुकुट विराज रचौ आदि अनेकों मनमोहक भजन सुनाकर भक्तों को झूमने

एवं नृत्य करने को विवश कर दिया। अन्त में आरती के पश्चात सभी को छप्पन भोग का दिव्य प्रसाद वितरित कराया गया। मनमोहक रहे श्री कृष्ण की झांकियां भागवत महापुराण में आज श्री कृष्ण झांकियां सभी का मन मोह लिया श्री कृष्ण बने कान्हा ने सभी को अपने मधुर मुस्कान से आए हुए वे सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी भक्तों श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। और हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते कृष्ण रूपी भगवान श्री कृष्ण के साथ मनमोहक दृश्य देखकर लोगों ने अपने कमरे में कैद कर लिया। कार्यक्रम के अंत में 56 भोग प्रसाद उपस्थित सभी भक्तगणों को वितरण किया गया।



पुलिस ने फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार

मऊगंज।

पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पटेहरा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक पटेल पुत्र श्रीनिवास पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी पटेहरा छोटा टोला जो 1 वर्ष पूर्व अपने एक अन्य साथी के साथ मद्रास गांव निवासी अजय कुमार कोल के

साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। फरियारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 392, 34 के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कई बार मऊगंज पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया पर पुलिस को सफलता नहीं मिली। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मऊगंज थाने में 10 के लगभग अपराध दर्ज हैं। पुराने मामले में

पेशी दौरान न्यायालय में हाजिर न होने से न्यायालय ने भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मऊगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी गांव आया हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने अपने दलबल के साथ दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिससे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

सीएम राइज स्कूल में 13 दिवसीय समर कैंप का सहायक संचालक ने किया समापन

धनपुरी।

राज्य शासन के निर्देशानुसार सी एम राइज स्कूल पाटन में 13 दिवसीय खेलकूद कला आर्ट्स योगा का समापन सहायक संचालक एवं बीईओ गिरीश बरवे एवं पाचार्य अनुज सेन की गरिमामय उपस्थिति में हर्ष उल्लास के वातावरण में समर कैंप का समापन हुआ जिसमें छात्र छात्राओं ने इन दिवसों में जो सीखा उस कला कौशल का अवलोकन कराया और अपने अंदर छिपे हुए हुनर को दिखाया अनुपयुक्त सामग्री ने एक से एक बद्धकर चीजों को तैयार कर सभी का मन मोह लिया इस अवसर पर ज्ञान लता



बाजपेई रजनी ठाकुर भारती नेमा प्रकाश राजपूत वीरेंद्र पटवा शिक्षक ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया समापन दिवस पर विष्णु पटेल

राहुल रजक शिवकुमार बाजपेई बालकृष्ण नामदेव तौसीफ भाई कृष्ण कांत शर्मा मनमोहन तिवारी उपस्थित रहे संचालन सेवानिवृत्त

शिक्षक राजेश नायक पत्रकार एवं आभार आनंद अग्रवाल ने किया बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक का वितरण किया गया।



कार्यस्थ समाज ने की चित्रगुप्त भगवान की पूजा निकाली मय्य शोभायात्रा

रीवा। जिले में मंगलवार को तरहटी स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मय्य शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई। कार्यस्थ समाज ने कुल देवता भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रकटीकरण पूरे भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मनाया। सुबह से ही कार्यस्थ समाज के लोगों ने अपने-अपने घरों में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा का दुग्ध एवं पुस्तकों से अभिषेक किया गया। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए, उनका वितरण किया। जिले भर के समाज के लोग मानव में एकरा होकर पूजा अर्चना करने के बाद भगवान की झांकी सहित निकल पड़े रीवा की सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ समाज के सभी लोगों का उत्साह देखते ही बनता रहा। कार्यस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की शोभायात्रा का जगह-जगह रस्तागत बंदन किया। भगवान श्री चित्रगुप्त की शोभायात्रा शहर के मानस मय्य से शुरू हुई लोक प्रमुख मार्गों से होते हुए मानस मय्य में समाप्त हुई। शोभायात्रा में कार्यस्थ समाज के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान समाज के चरिष्ठ लोगों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं का किया गया। डा. शैलबाला श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य तथा संत प्रसाद खरे के विशिष्ट आतिथ्य में अंजन संस्था का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से चित्रांश परिवार के अध्यक्ष शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, संयोजक अशोक श्रीवास्तव कार्यस्थ महासभा, प्रो. एमपी श्रीवास्तव, विजय निगम, मनीष श्रीवास्तव, डा. दीपक कुलश्रेष्ठ, संजय निगम, संजीव श्रीवास्तव, एस पी निगम(गुड), धर्मेश्वर श्रीवास्तव, कल्पना श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, वंदना श्रीवास्तव, आरसी खरे, राजेश्वर श्रीवास्तव, राजेश्वर निगम, सुनील निगम, राजेश्वर श्रीवास्तव, एसके निगम, मनीष श्रीवास्तव, अशोक निगम, डा. एसके श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, निलेश श्रीवास्तव, मौरा श्रीवास्तव, सुनीता श्रीवास्तव शामिल रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की

रीवा

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-10 की मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में मतगणना परिसर में बाहर व अंदर का जा रही मतगणना की तैयारियों के विषय में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।



इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगमन के मार्गों, प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा, बैठक व्यवस्था, वैरिकेटींग, मीडिया सेंटर सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि 20 मई से 26 तक मतगणना स्थल में बाहर की सभी तैयारियों पूरी करें। लीज लाइन लगाने तथा मतगणना कक्षों सहित अन्य निर्वहन करें। उन्होंने मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना

लिया जाय। उन्होंने प्रवेश द्वारों में कैमरे लगाने के भी निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतगणना 4 जून को की जायेगी। मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी सौंप गये दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना

दिवस में गर्मी रहेगी अतः पीने के ठण्डे पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। उन्होंने मतगणना परिसर में स्वास्थ्य सुविधा के लिये एम्बुलेंस व डॉक्टर्स की टीम मुस्तैद रखने के लिये भी निर्देशित किया। इंजीनियरिंग कालेज में समीक्षा के दौरान आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले सहित विभागीय अधिकारी

उपस्थित रहे। इससे पूर्व जिला निर्वाचन में मतगणना स्थल में स्ट्रॉग रूम का जायजा लिया तथा सीसीटीवी कैमरों एवं एलईडी स्क्रीन की जांच की तथा सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखने के निर्देश दिये।

मतगणना की तैयारियाँ देख सकते हैं उम्मीदवार
लोकसभा निर्वाचन 2024 में

रीवा संसदीय क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। संसदीय क्षेत्र में शामिल सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की ईव्हीएम इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए विधानसभावार स्ट्रॉग रूम में मतगणना आरंभ होगी। मतगणना के लिए 4 जून की तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन प्रातः 8 बजे से विधानसभावार अलग-अलग कक्षों में मतगणना आरंभ होगी। मतगणना के लिए इंजीनियरिंग कालेज में निर्धारित गणना कक्षों में आवश्यक तैयारियों की जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने कहा है कि मतगणना के लिए विभिन्न विभाग आवश्यक प्रबंध 20 मई से आरंभ करेंगे। मतगणना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि जायजा ले सकते हैं। अधिकृत व्यक्ति को वैध प्रवेश पत्र के साथ ही मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति होगी।

गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक को दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास

रीवा।

शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले चिकित्सक को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी डॉ. विकास पटेल के खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध था। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। वर्तमान में डॉक्टर विकास पटेल गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। उक्त मामले की पेरवी अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी द्वारा की गई। बताया गया कि मामला महिला थाना रीवा का है, पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत की थी आरोपी डॉक्टर विकास पटेल शादी का झांसा देकर सन 2012 से लेकर 2020 तक दुष्कर्म किया। जब वह शादी करने के लिए बोलती थी तो वह शादी करने को बोलता था। पीड़िता ने बताया था



कि उसकी मुलाकात एवं जान पहचान भोपाल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान सन 2012 में हुई थी, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर उसे दिया था, जिसके बाद उनके बीच बातचीत होने लगी। पीड़िता अपने मामा के यहां रहतरा में रहती थी

और वहीं से पढ़ाई कर रही थी। इस बीच उसके साथ वहां कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया साथ ही भोपाल में भी बुलाकर गलत काम किया गया था। जब आरोपी द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया तब पीड़िता द्वारा उसके विरुद्ध महिला थाना रीवा में 25

नवंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

सजा पड़ने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की कार्रवाई

वर्तमान में डॉ विकास पटेल गोविंदगढ़ सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है लेकिन रीवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक डॉक्टर विकास पटेल पर कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं किया है

इनका कहना है

हमें अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जानकारी होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।

सुधाकर पाण्डेय बीएमओ गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र



हाई प्रोफाइल तरीके से की गई चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश ट्रक, कार सहित लाखों के पाइप बरामद

रीवा।

जिले गोविंदगढ़ पुलिस ने हाई प्रोफाइल हुई चोरी के मामले में पर्दाफाश किया है आरोपियों से ट्रक, कार सहित लाखों के पाइप बरामद किया है पूरे मामले में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ शिव अग्रवाल ने सनसनी केस

खुलासा किया है। जनकारी के मुताबिक दिनांक 14/05/ 24 को फरियादी रजनीश विश्वकर्मा पिता सुरेंद्रमणि विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी गंगहरा थाना सगरा जिला रीवा द्वारा दिनांक 14.05.2024 को 45 नग डी आई पाइप कीमती 3,50,000 रुपए की चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट लेख कराया था। जिस पर से थाना में अपराध क्रमांक 125/24 धारा 379 ता.हि. कायम कायम कर ।



रीवा। अवैध खनन और नियम विरुद्ध केशरों का हो रहा संचालन और उससे स्थानीय स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जांच करने कुठवार को गोपाल से 4 सदस्यीय टीम रीवा पहुंची। गौरतलब है कि अधिवक्ता अतुल जैन और बीके माला ने एनजीटी के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। हुजूर तहसील अंतर्गत वाम बेला, बैजनाथ और सकरवट सहित आसपास के गांवों में संचालित स्टोन केशरों का संचालन नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। साथ ही लोगों में प्रदूषण का वजह से बीमारी भी फैल रही है। जिस पर एनजीटी ने एक टीम गठित कर इस मामले की जांच के निर्देश जारी कर दिए। बुधवार को जो टीम रीवा पहुंची। जोके पर 13 स्टोन केशर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। तथा जोके पर पर्यावरण राज्यस् एवं खनिज लीज अभिलेखों का निरीक्षण जांच करके अपना प्रवृति वेतन प्रतिवेदन माननीय व्यायालय एनजीटी मध्य प्रदेश भोपाल को सौंपेगी। क्रमेटी के सदस्य सेंट्रल पॉल्यूशन के सदस्य बोर्ड के सदस्य स्टेट पॉल्यूशन के सदस्य खनिज के सदस्य कलेक्टर रीवा के सदस्य तहसीलदार हुजूर खनिज विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी खनिज विभाग के जिला अधिकारी याचिका करते बीके माला एडवोकेट पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी सहित संबंधित विभागों के वैज्ञानिक अधिकारी उपस्थित रहे ।

खबर संक्षेप

4 माह से अधिक समय से लापता श्यामलाल कोल का नहीं मिल रहा सुराग



अनूपपुर। जिले की चर्चाई थाना अंतर्गत लेबर कॉलोनी बरगवां अमलवाई निवासी 40 वर्षीय बतीबाई कोल पति श्यामलाल कोल ने तीसरी बार पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार के समक्ष अपने परिजनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर चार माह से अधिक समय से लापता पति की तलाश कोतमा पुलिस द्वारा नहीं किए जाने से परेशान होना बताते हुए पुनः पत्र सौंपा है जिस पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी कोतमा से दूरभाष पर चर्चा कर गुम इंसान प्रकरण की सतर्कता से जांच कर श्यामलाल को पता लगाये जाने के संबंध में मौखिक एवं लिखित निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पीडिता पत्नी बतीबाई कोल ने बताया कि उनके पति श्यामलाल कोल पिता ननकू कोल उम्र 48 वर्ष मजदूरी का काम करते हुए लेबर कॉलोनी बरगवां थाना चर्चाई में रहते हैं विगत 24 दिसंबर 23 को कोतमा थाना के उरतान गांव के उपसरपंच एवं जनपद सदस्य जो पति से पूर्व से परिचित हैं ने उनके पति को केशवाही में स्थित मरखीदाई मंदिर में पुजाई के काम में सहयोग करने हेतु बुलाया था जहां पर काम करने के बाद से 24 दिसंबर की रात 7 बजे के बाद से पति श्यामलाल कोल का पता नहीं चल रहा है तथा उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बताने से परेशान पत्नी अपने जेट नानदांड कोल एवं अन्य के साथ 24 दिसंबर 2023 को कोतमा थाना में पति के गुमने की सूचना दर्ज कराते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की किंतु पति की खोज नहीं होने पर निरंतर की बार आवेदन देने के बाद भी नहीं मिलने पर निरंतर 4 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी श्यामलाल कोल का कोई पता नहीं चलने से अब श्यामलाल की पत्नी एवं परिजनों के द्वारा ग्राम उरतान थाना कोतमा के उपसरपंच एवं जनपद सदस्य के पति की काम के बहाने बुलाने बाद हत्या कर कहीं दफना देने जैसे आप लगाते हुए जांच की मांग की है।

अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध फुनगा पुलिस ने की कार्यवाही

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पंवार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इशार मन्सूरी एवं एस.डी.ओ.पी. कोतमा वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी फुनगा द्वारा अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। 15 मई को चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक सुमित कौशिक के नेतृत्व में आरक्षक राकेश कनासे, प्रधान आरक्षक सुर्यभान, आरक्षक अमन दुबे के द्वारा धुरवासिन से रकसा के बीच धुरवासीन तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर रोका गया, रोकने के बाद ट्रक चालक अफरोज अहमद को अभिरक्षा में लेकर ट्रक को चेक किया गया जो ट्रक क्रमांक यूपी 92 टी 8593 में अवैध पशु भैस, पड़ा 26 नग कीमती 5 लाख 20 हजार दूंस दूंस कर लोड कर बूचड़खाना ले जाते पाये जाने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। ट्रक के चालक अफरोज अहमद निवासी कोशाबी यूपी एवं पशु व्यापारी करण केवट निवासी कोतमा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/24 धारा 6, 6 (क), 6 (ख), (1), 9 (1), 10, 11 पशु क्रूरता अधि. एवं मो. व्ही. एक्ट की धारा 66/192 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर वाहन को मय अवैध पशु के जप्त कर विवेचना में लिया गया है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आकर भैंस की मौत

अनूपपुर। कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत बिजौड़ी के प्राथमिक विद्यालय के पास रहने वाले अरुण केवट पिता गुलाब केवट की जवान भैंस जो प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी घर के पास बंधी रही। तभी मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे के अचानक आंधी-तूफान के साथ घर के पास रखे आम के हरे लकड़ी के ढेर में आकाशीय बिजली गिरने से चपेट में आने पर जवान भैंस की मौत हो गई। घटना की सूचना पशु मालिक के द्वारा कोतवाली थाना अनूपपुर में किए जाने पर बुधवार को पुलिस ने निर्देश पर पशु चिकित्सक द्वारा मृत मवेशी का स्थल पर पहुंचकर पीएम एवं पंचनामा की कार्यवाही की गई है।

ट्रक ने 14 यात्रियों से भरे आटो को मारी टोकर, 2 की मौत

जिले भर की यातायात व्यवस्था का सुस्त-दुरुस्त रखने शासन ने यातायात पुलिस की तैनाती कर उन्हें सुरक्षित यातायात बनाये रखने के निर्देश दिये हैं, परंतु जिले की यातायात पुलिसिय व्यवस्था पटरी से

सड़क हादसों को रोकने में तंत्र नाकाम, निर्दोषों की जा रही जान

उतरती नजर आ रही है तभी तो जिले के सुदूर इलाके में नही बल्कि जिला मुख्यालय में ही प्रतिदिन कम से कम एक से दो सड़क दुर्घटना हो रही है परंतु अपने आपको जिले में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने

का दंभ करने वाली यातायात पुलिस दुर्घटनाओं को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है जिस कारण कहीं रफतार का कहर जान ले रही है तो कहीं बेतरतीब परिचालन से लोग काल कलवित हो रहे हैं।

सिस्टम की उदासीनता से ध्वस्त हुई जिले की यातायात व्यवस्था

जिम्मेदार विभाग कभी हाईवे में नोट बटोरते देखी जाती है तो कभी चौराहों तिराहों पर कर्तव्यों की इतिश्री करते मिलती है। पुलिस-प्रशासनिक उदासीनता के चलते जिला मुख्यालय में महीनों से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। विकराल होती इस समस्या पर किसी भी स्तर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क हादसा एक ऐसी त्रासदी है, जो कभी भी किसी पर भी कहर बनकर टूट पड़ता है। जिले में हर साल सैकड़ों लोग सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं। कोई अपनी जान गवां रहा है तो कोई गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच जाता है। घायलों में कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो हमेशा के लिए अपंग होकर नारकीय जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। अपने परिवार का सहारा रहे ऐसे लोगों को खुद दूसरों के सहयोग की जरूरत आन पड़ती है। कई ऐसे कारण हैं जो सड़क हादसों के वाहक बन रहे हैं। इन कारणों को दूर किए बिना सड़क हादसों को रोक पाना संभव नहीं है। तंत्र भी इन कारणों को दूर करने की दिशा में गंभीरता और ईमानदारी पूर्वक पहल नहीं करता।

जर्जर और खटारा वाहन पर अंकुश नहीं

जिले की सड़कों पर जर्जर और खटारा वाहनों को बेखोप चलाया जाता है। ऐसे वाहनों के फिटनेस में काफ़ी कमी रहती है, इसको लेकर न तो संबंधित महकमा गंभीर है और न ही वाहन मालिक। वहीं यातायात विभाग द्वारा भी कण्डम वाहनों की सघन जांच न करते हुये गहरी निद्रा ली जा रही है जबकि जर्जर और खटारा वाहन भी सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा रहे हैं वहीं नशा का सेवन करके वाहन चलाना लोगों की आदत है। साथ ही अधिक रफतार में भी लोग खासकर युवा



वर्ग वाहन चलाते हैं। इससे भी सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है, परंतु यातायात विभाग हाईवे में अवैध वसूली में ही लगी रहती है।

कागजों पर दम तोड़ती योजना

प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, जिसमें सड़क हादसों को रोकने के लिए योजना बनाई जाती है। कई निर्णय भी लिए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। जानकारी के अनुसार माह में एक बार बैठक होती है, लेकिन अनुपालन नहीं किया जाता है वहीं नये नवेले यातायात अधिकारी की कार्यालय में ही गुटबाजी के कारण आपसी तनातनी के बीच जांच में मिले गड़बड़ों को खुद अपने पास रखने से कर्मचारी आंतरिक विरोध करते हुये कर्तव्य से ही विमुख दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बावजूद यातायात की पुलिसिया व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ रहा है जो पुराने ढर्रे में ही काम को अंजाम दे रही है वहीं जिले भर में विभागीय उदासीनता की चर्चा जोरों पर है।

इधर सड़क दुर्घटना में दो की मौत, चार घायल

शहडोल मुख्य मार्ग के मध्य चर्चाई थाना



अंतर्गत बाबाकुटी के पास बुधवार की सुबह मेडियारास से काम करके आटो से जा रहे 15 मजदूर से भरे आटो को अनूपपुर की ओर से जा रहे एक ट्रक ने पीछे से टोकर मार दी जिससे एक बालक की घटना स्थल पर तथा एक वृद्ध की जिला अस्पताल अनूपपुर में गंभीर चोट आने पर मौत हो गई वहीं घटना में चार अन्य मजदूर घायल हैं जिनका जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार शहडोल जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत खरला ग्राम पंचायत के मजदूर मेडियारास में एक भवन के निर्माण कार्य में मजदूरी करने आए रहे जो बुधवार की सुबह गांव के ही आटो से जा रहे थे तभी चर्चाई के समीप बाबाकुटी के पास सोननदी के पुल की ओर जाते समय अनूपपुर की ओर से जा रहे राखड़ से भरे ट्रक ने पीछे से टोकर मार दी इससे आटो में बैठे 15 मजदूर में से टेडिया ग्राम पंचायत खरला थाना बुढ़ार निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग की घटना स्थल पर मौत हो गई जबकि इसी गांव के 50 वर्षीय अमोल साय पाव ने गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल अनूपपुर में दम तोड़ दिया। घटना में 23 वर्षीय नोहराल पाव पिता लालमनी पाव, भगवनिया बाई पति शेखराम पाव उम्र 60 वर्ष,

भीमसेन पिता उमेश पाव उम्र 19 वर्ष, सभी निवासी ग्राम टेडिया ग्राम पंचायत खरला को चोटे आई हैं जिनका जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी पर थाना चर्चाई पुलिस तथा जिला अस्पताल पुलिस जांच कर रही है। घटी इस हदय विदारक घटना की जिम्मेदार कहीं न कहीं यातायात पुलिस की उदासीनता ही है।

3 सवारी सीटर में 14 यात्री थे सवार

चर्चाई थाना अंतर्गत बाबाकुटी के पास बुधवार की सुबह हुई घटना में 3 सवारी की आटो में 14 यात्री सवार थे। इस संबंध में चर्चाई पुलिस ने जानकारी में बताया कि ओवर लोड आटो में सभी लोगों को चोटे आई है। यहां पर सीधे सीधे यातायात पुलिस की लापरवाही उजागर हो रही है। इससे पूर्व भी अमरकंटक रोड में भयावह सड़क दुर्घटना में अकाल मौत हुई थी वहीं बिजली आफिस के पास भी एक घटना में दो वाहन आपस में भिड़ गये थे। इन सभी घटनाओं में यातायात पुलिस की निष्क्रियता व लापरवाही उजागर हो रही है जो उनके वर्तमान कार्यशैली की ओर इशारा कर रहा है।

वाहन चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर संपन्न

शिविर में 89 वाहन चालकों को मिला स्वास्थ्य लाभ

अनूपपुर।

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ तथा पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार के निर्देशन में बुधवार 15 मई को यातायात पुलिस कार्यालय में वाहन चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए.के. अवधिया तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.पी. सोनी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ (एम.एस.) डॉक्टर जनक सारीवान द्वारा 89 वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया तथा नेत्र कैसे स्वस्थ रखें उसकी सलाह भी दी गई।



इसके साथ ही सभी वाहन चालकों के बीपी एवं ब्लड शुगर की जांच की गई एवं आवश्यक दवाइयों प्रदान की गई। शिविर में वाहन चालकों को बीपी एवं शुगर को मॉटेन रखने के लिए आवश्यक सलाह दी गई, जिससे नेत्र में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

थमने का नाम नहीं ले रहा नगर में चोरी का सिलसिला इस बार शारदा काली माता मंदिर को बनाया निशाना

कोतमा।

नगर में कई प्रकार के अवैध व्यवसाय का धंधा जोरों पर चल रहा है जिसके कारण लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि कहीं दुकानों के ताले टूट रहे हैं तो कहीं मोटरसाइकिल पर हो रही हैं। ज्यादातर चोरी के मामले में तो पुलिस प्रकरण अधिक दर्ज नहीं करती। करती भी है तो वह फाइलों में दफन होकर रह जाती है। पूर्व की चोरियों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाती की फिर नगर में कोई ना कोई चोरी की घटना घटी जाती है। गुरुवार को नगर के वार्ड क्रमांक एक फ्लिटर मोहल्ला में घर के सामने से एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल को दिनदहाड़े चोरों ने चोरी कर लिया। लेकिन पुलिस अब तक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ नहीं पाएगी नगर के बाजार परिया में स्थित शारदा काली माता मंदिर में 15 16 मई की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के अंदर का दरवाजे का ताला तोड़कर मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़ते हुए नगदी रूप एवं चिल्लर चोरी कर ले गए।

सुबह हुई जानकारी

16 मई की सुबह लगभग 5:30 बजे मंदिर का पंडा चंदन बहौलिया जब मंदिर का में गेट का ताला खोलकर मंदिर के अंदर गया और साइड वाला माता रानी का दरवाजा खोलने



लगा तो जमीन में कुछ पड़ा हुआ नजर आया मंदिर के अंदर जब जहां माता रानी विराजमान है वहां गया और देखा कि दान पेटी का ताला टूटा हुआ है दान पेटी के अंदर नगदी एवं चिल्लर पैसे गायब है। माता रानी का पहना हुआ बख्र अस्त व्यस्त था। तत्काल ही मंदिर के पंडा ने इसकी जानकारी मंदिर समिति के लोगों को दी और उसके बाद डायल 100 को फोन कर मंदिर में चोरी होने की सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस

शारदा काली माता मंदिर में चोरी होने की सूचना पर मौके पर डायल हंड्रेड पुलिस पहुंच गई और मंदिर परिसर का मुआयना करते हुए। मंदिर के पंडा को थाने पहुंचकर चोरी की शिकायत करने की बात कही। शारदा काली माता मंदिर में चार

फर्जी तरीके से जमीन हड़प दुकान में किया कब्जा, कलेक्टर तक पहुंची शिकायत

नगर पालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप अनूपपुर।

जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषद अनूपपुर में दुकान में कब्जा किये राजेश सिंह के खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्याय दिलाये जाने के संबंध में वार्ड क्रमांक 5 सामतपुर निवासी श्रेयांशी गुप्ता पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कलेक्टर सहित कोतवाली अनूपपुर व नगर पालिका को शिकायत कर न्याय दिलाये जाने की गुहार लगाई है। श्रेयांशी गुप्ता ने शिकायत कर बताया कि उसके द्वारा नगर पालिका अनूपपुर में टैक्स जमा करने हेतु आवेदन किया गया है कि स्व.शारदा प्रसाद गुप्ता के नाम खसरा नं. 413/1 में भवन निर्माण हेतु अनुमति एवं नक्शा पास वर्ष 2000 में किया गया था लेकिन श्रेयांशी गुप्ता टैक्स जमा करने के



लिए गौरव सिंह के पास गई तो गौरव सिंह द्वारा कहा गया कि यह सम्पत्ति राजेश सिंह पिता जयकरण सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 बस्ती रोड पेट्रोल पम्प के पीछे अनूपपुर के नाम रिकार्ड दर्ज है इसलिए यह सम्पत्ति का संपत्ति कर नहीं जमा किया जा सकता। इस शड्यंत्र में राजेश

जबरदस्ती एवं गुंडागर्दी के दम पर राजेश सिंह पिता जयकरण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है तथा दुकान खाली नहीं की जा रही है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी बुआ ने जानकारी में बताया कि तय किराये के अनुसार मौखिक तौर पर दो हजार रूपए के हिसाब से 23 वर्ष 5 माह का किराया शेष है, जिसकी राशि 562000 है जो आज तक 281 माह हो चुके है जिसकी राशि पांच लाख बासठ हजार रूपए दिलाए जाने एवं दुकान खाली कराने की मांग की है। जिससे गरीब, अनाथ नाबालिग लड़कों का भरण पोषण हो सके। अगर दुकान खाली हो गयी तो मेरे माता की द्वारा दुकान खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जा सकेगा। किराया निर्धारण में अगर को विसंगति हो तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अनूपपुर के इंजीनियरों से जांच कराया जा सकता है।

तुलसी महाविद्यालय में आयोजित हुई कार्यशाला

अनूपपुर। जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद अनूपपुर और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुजर के निर्देशन में जिले के पर्यटन विकास पर कार्य किया जा रहा है। जिले के युवाओं को पर्यटन स्थलों के संरक्षण और पर्यटन से रोजगार की संभावनाओं से अवगत कराए जाने हेतु पर्यटन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीएटीसीसी की टीम ने शासकीय तुलसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जे. के. संत की उपस्थिति में आर्ट्स संकाय के छात्र-छात्राओं से पर्यटन जागरूकता संवाद पर चर्चा की। पर्यटन प्रबंधक अजय अगवाल द्वारा उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिले के सभी मुख्य पर्यटन स्थलों की जानकारी दी।

Presiding Officer: श्री रविंद्र कुमार शिल्ली
अवेदक पर अंतर्गत धारा 372 भारतीय संवैधानिक अधिनियम
सर्वेसन क्रम नं. 372 (MJC SUC/000004/2023)
राजेश सिंह वी.आवेदक Vs
भारतीय जीवन बीमा निगम वी.अवेदक

Process Id:-2024
पेटिशन - पेरी दिनांक - 25.05.2024
(1) अन्य परसर्न पिता अन्य पिता - अन्य
(1) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश सिंह वी. ने मुक्त अधिराज सिंह पिता स्व. संतो सिंह निवासी स्थिति लाईन वार्ड क्रमांक 98 कोतमा काली रानी थाना/महाका तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. की 120,000/ एक लाख बीस हजार मय थ्याज राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 25 May 2024 को निमित्त है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मुक्त का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक होने से सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 25 May 2024 को न्यायालय में स्वयं अपना अधिकाय के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरोक्त, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। यह आज तारीख 27 April 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

रविंद्र कुमार शिल्ली
व्यावहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त दिनांक न्यायालय अदालत पर रफ्तार तो आपगामी कार्यादेश पर वह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

